

क. 357 / स.शि. / स्था. / पीएमश्री / समा.शि. / 2026-27

बालोद, दिनांक 28.07.26

—:: विज्ञापन ::—

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 10.08.26 संध्या 5.00 बजे तक

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक/1518/ एफ-24/193/पीएमश्री/समग्र शिक्षा/2026-27 रायपुर दिनांक 06.07.2026 के तहत पीएमश्री योजना सत्र 2026-27 के अनुसार कुल 05 पीएमश्री शालाओं में से (05 पद प्राथमिक स्तर एवं 01 पद माध्यमिक स्तर) कुल 06 स्पेशल एजुकेटर के पद पर 20000 रु. प्रतिमाह के एक निश्चित मानदेय पर 10 माह हेतु सेवाएं लिया जाना है। भर्ती एवं पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक शैक्षणिक आर्हताएं संबंधी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, जिसे बालोद के वेबसाइट www.balod.gov.in में प्राप्त की जा सकती हैं।

भर्ती हेतु रिक्त पद का विवरण

अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	कुल पद
3	0	2	1	6

स्पेशल एजुकेटर की योग्यता :-

Levels		Qualification
Primary Stage Class 1 th to 5 th	Primary Level	1. D.Ed. in Special Education form a RCI Approved institute and possess a valid RCI CRR number. OR D.El.Ed. with a recognized qualification (Certificate/Diploma*) from a RCI approved institution equivalent to D.E.d in Special Education and possess a valid RCI CRR number. 2. Six month training of teaching in cross disability area in Inclusive education
Middle Stage (Class 6 to 8)	Upper Primary+Seco ndary	1. B.Ed. in Special Education form a RCI Approved institute and possess a valid RCI CRR number. OR B.Ed. with a recognized qualification (Certificate/Diploma*) from a RCI approved institution equivalent to B.E.d in Special Education and possess a valid RCI CRR number. 2. Six month training of teaching in cross disability area in Inclusive education
Secondary Stage (Class 9 to 12)	+Higher Secondary	

नियम एवं शर्त :-

1. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 10 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
2. अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
6. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक के विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
7. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
8. इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रू. 20000/- (अक्षरी बीस हजार रुपये मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

चयन प्रक्रिया :-

- निर्धारित न्यूनतम योग्यता के प्राप्त अंको का 80 %

कार्यानुभव :-

1 वर्ष -5 अंक, 2 वर्ष- 10 अंक, 3 वर्ष - 15 अंक, 4 या 4 से अधिक वर्ष-20 अंक

टीप :- एक से अधिक अभ्यर्थी के मेरिट में समानता की स्थिति में जन्मतिथि को आधार माना जायेगा।

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ए-4 साईज पेपर में किया जावे तथा पासपोर्ट कलर फोटो चस्पा करे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की **अभिप्रमाणित छायाप्रति** संलग्न करना अनिवार्य है। समग्र शिक्षा जिला परियोजना कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
2. आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में **आवेदित पद का नाम** उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, जिला बालोद कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक-68 जिला- बालोद (छ0ग0) के नाम से पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक..... तक प्रेषित किया जावें। निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

---00---

Kangde

28/07/2026
जिला मिशन समन्वयक
समग्र शिक्षा बालोद (छ.ग.)

पीएमश्री शालाओं में स्पेशल एजुकेटर हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

जिला-बालोद (छ0ग0)

पासपोर्ट
साइज
कलर फोटो
अभिप्रमाणित

01. आवेदित पद का नाम :-
02. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-.....
(अंग्रेजी में) :-.....
03. पिता/पति का नाम :-.....
04. जन्मतिथि (अंकों में) :-.....
(शब्दों में) :-.....
05. दिनांक 01.07.2026 को आयु :-वर्ष माह दिन
06. रोजगार कार्यालय का नाम :-.....
जीवित पंजीयन क्रमांक :- दिनांक
07. वर्ग (अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व./सामान्य) :-.....
08. लिंग (पुरुष/महिला) :-.....
09. पत्र व्यवहार का पूरा पता :-.....
.....
.....
10. स्थायी निवास का पूरा पता :-.....
.....
.....
11. मोबाईल नंबर :-.....
12. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परितयक्ता :-
13. यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :-.....

14. शैक्षणिक योग्यता :-

क.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

15. कार्यानुभव (यदि हो तो उल्लेख करें) :-

क.	कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यावधि	रिमार्क

16. सीआरआर नंबर, पंजीयन तिथि, :-
वैधता तिथि

17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1.....2.....
3.....4.....
5.....6.....

आवेदक का हस्ताक्षर
व नाम

// घोषणा पत्र //

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें दी गई जानकारी असत्य पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम.....

पूरा पता.....

.....